[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 33/2020- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. ... (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "फ्लूओरोइलास्टोमर्स (FKM)" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 6/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2019, जिसे सा.का.नि. 52(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रारंभिकरण अधिसूचना संख्या 7/3/2020-डीजीटीआर, दिनांक 7 फरवरी, 2020, जिसे दिनांक 7 फरवरी, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है;

और जहाँ कि केंद्र सरकार ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित विषयगत वस्तु पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की अवधि को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 19/2020-सीमा शुल्क(एडीडी) दिनांक 21 जुलाई, 2020 जिसे सा.का.नि. 459(अ), दिनांक 21 जुलाई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत 27 अक्तूबर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ा दिया था;

और जहाँ कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित विषयगत वस्तु पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की अवधि को और आगे बढ़ने का का अनुरोध किया है।

अत: अब, उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 6/2019-सीमा शुल्क(एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2019, जिसे सा.का.नि. 52(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में, अंकों और शब्द "27 अक्तूबर, 2020” के स्थान पर अंकों और शब्द "27 नवम्बर, 2020" को प्रतिस्थापित किया जायेगा |

[फाइल संख्या 354/10/2019-टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 6/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2019, को सा.का.नि. 52(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2020-सीमा शुल्क(एडीडी), दिनांक 21 जुलाई, 2020 जिसे सा.का.नि. 459(अ), दिनांक 21 जुलाई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।